रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122021-231581
CG-DL-E-03122021-231581

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2021/अग्रहायण 12, 1943
No. 687] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2021/AGRAHAYANA 12, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 846(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 अप्रैल, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 243(अ), तारीख 31 मार्च, 2021 के हिन्दी पाठ के पृष्ठ संख्या 2 में सारणी-1 के स्तंभ (3) में क्रम संख्या 1 के सामने "10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर 1" शब्द और अंकों के स्थान पर "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर 1" शब्द और अंक पढ़े।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th October, 2021

G.S.R. 846(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number G.S.R. 243 (E), dated 31st March, 2021, in the Hindi version published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), in Table-I Sl. No.1 column 3, for "10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर [1]" read "'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर [1] " .

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.03 22:50:47 +05'30'